

11. मूयन निर्माण के दौरान स्ट्रक्चर को जारी तरहक कंट्रोल/आउट लेजाकर निर्माण जारी राखे जावे।
12. ड्रेडिं की निर्माण सामग्री रोड/गली पर नहीं रखी जावे।
13. निर्माण सामग्री से किल्ली भी प्रकार का प्रदुषण नहीं फैलावे।
14. जलाशयत में बाला उत्पन्न होने अथवा सामग्री/बुल आदि के कारण प्रदुषण संकी शिकायत प्राप्त होने पर निर्माण सामग्री जप्त करते हुए म.प्र. नगर पालिका निगम अधिनियम 1950 के प्राक्कानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।


धियामे गये तथ्यों की स्थिति में अथवा भू-मालकी बाबद विवाद या किल्ली अन्य विभाग से आपत्ति आने पर दी गई अनुज्ञास्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।


bocome3

भवन अधिकारी

Zone-3

नगर पालिका निगम, इन्डौर



भवन निर्माण अनुमति प्रमाण-पत्र

(म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 27 के अधीन)

क्रमांक : 3543/IMC/Z03/W13/2014(New Detail Plan)

दिनांक : 26 September, 2014

प्रति,

M/S VASANTRAO S KAPSE

पता- 4/1, NAYA PURA

शहोदय/महोदया,

भूखण्ड क्रमांक 4/1, बस्ती/मार्ग , मोहल्ला/बाजार NAYA PURA इन्दौर झोन क्रमांक Zone-3 इन्दौर में निर्माण हेतु स्वीकृति के लिए आपके आवेदन क्रमांक IMC/2906/Z03/W13/2014 दिनांक 11 August, 2014 के संदर्भ में आपको सूचित करता हूँ कि आरक क्रमांक 07 दिनांक 11-08-14 अनुसार स्वीकृति अभिन्यास एवं उसकी शर्तों के अधीन भवन की अधिकतम ऊंचाई 11.9 मीटर तथा 1Basement + 1Ground + 3 तक की स्वीकृति हुई है ।

Permissible FAR Factor	01.50
Consumed FAR	01.29
Special Cases FAR	00.00
Set Back Area	
Existing Ground Coverage	

Total Permissible BuiltUp Area	767.03	वर्ग मी.
Proposed BuiltUp Area	657.26	वर्ग मी.
Existing Built Up Area	00.00	वर्ग मी.
Proposed Ground Coverage	204.80	वर्ग मी.
Permissible Ground Coverage		

Building FSI Details:

S.No	Building Name	Commercial (वर्ग मी.)	Residential (वर्ग मी.)	Industrial (वर्ग मी.)	Special (वर्ग मी.)
1	A (D)	00.00	634.81	00.00	00.00

Floor FSI Details:

Building Name	S.No	Floor Name	Commercial (वर्ग मी.)	Residential (वर्ग मी.)	Industrial (वर्ग मी.)	Special (वर्ग मी.)	FSI Area (वर्ग मी.)
A (D)	1	FIRST BASEMENT	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	2	GROUND FLOOR	00.00	137.06	00.00	00.00	137.06
	3	FIRST FLOOR	00.00	163.20	00.00	00.00	163.20
	4	SECOND FLOOR	00.00	167.28	00.00	00.00	167.28
	5	THIRD FLOOR	00.00	167.28	00.00	00.00	167.28
	6	PARAPET WALL OUTLINE	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00

निगम द्वारा निम्नलिखित शर्तों तथा उपबंधनों के तहत स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. एक अनुमान पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत भूखाना तथा वास्तुविद्य द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में नहीं है, इसे सी गई स्वीकृति का मुख्य आधार एवं अंग माना जाएगा। उक्त शपथ पत्र एवं दस्तावेजों की वैधानिकता का सिद्धांत जावाबदारी आवेदनक की स्वयं की होगी। विभाग इसके लिये जवाबदार नहीं होगा। उसी स्वीकृति दिनांक 25 September, 2017 तक वैध होगी। यदि आवश्यकता हो तो नवीनीकरण हेतु आवेदन दिनांक 25 August, 2017 के पूर्व किया जाये।

2. इस स्वीकृति मानचित्र की एक प्रतिलिपि मय इस दाखिले के निर्माण स्थल पर रखना अनिवार्य होगा।

3. भवन निर्माण का कार्य निगम के लाइसेंसी सुपरवाईजर, इंजीनियर तथा आर्किटेक्ट की देखरेख में ही स्वीकृति के अनुरूप करना अनिवार्य होगा। अन्य स्थिति में लिखित आवेदन पर ही यह माना जाएगा कि उक्त कार्य सुपरवाईजर, इंजीनियर अथवा वास्तुविद्य की देखरेख में नहीं हो रहा है तथा केवल भवन स्वामी ही समस्त वैध निर्माण के लिये उत्तरदायी होगा। म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियमों का पालन करने की जवाबदारी लाइसेंसी इंजीनियर एवं भवन निर्माता की होगी।

4. स्वीकृत मानचित्र में दर्शाये पार्किंग स्थल हेतु जो अनुबंध पत्र आपके द्वारा निगम के पक्ष में लिखा गया, उस अनुसार पार्किंग स्थल का निर्माण कर उसे निगम को हस्तांतरित करना होगा, जो कि अंततः पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् भवन के रहवासियों को निगम सौंपेगा। इस संबंध में भवन निर्माता मौके पर पार्किंग स्थल का सूचना पट्ट तथा वाहन के सुलभ आवागमन हेतु भी सूचना पट्ट, स्वयं के व्यय से लगावेगा।

5. बहुआवासीय भवनों के निर्माण में जल, मल निकासी हेतु यह अनिवार्य होगा कि भवन निर्माता सेट्टिक टैंक का निर्माण कर केवल तल जल, मल ही निगम की सक्षम स्वीकृत प्राप्त कर मुख्य ट्रेनेज लाइन से जोड़े तथा नगर निगम विधान की धारा 159 के अनुसार यह आवश्यक होगा कि भवन के मुख्य द्वार के बाहर पानी निकासी हेतु नगर निगम के निर्देशन में न्यूनतम 450 एमएम (एन.पी.टू.) डाबमीटर का आससीसी पाईप डाला जाये। बहुआवासीय भवनों में कचरे हेतु तल मंजल पर एक निर्धारित स्वान तब कर कचरा उसी स्थान पर डालें, यह सुनिश्चित भवन निर्माता को करना होगा। तल पर होने की दशा में इसका उपयोग केवल भूमि विकास नियम क्र. 73 के अनुरूप ही होगा।

6. उपरोक्त स्वीकृति अनुसार आपके भूखंड क्षेत्र 511.35 वर्गमीटर का निर्धारित आवासीय-634.81 F.A.R. के साथ आवासीय उपयोग के अनुसार आपको कुल क्षेत्र 657.26 वर्गमीटर पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा रही है। जिस हेतु आपके द्वारा इस कार्यालय द्वारा जारी फीस निम्नलिखित गेमो द्वारा जमा किये गये हैं।

फीस मेमो:

Memo No	Amount (₹)	Receipt No	Paid On	Payment Mode
BPMSC/19209/14	1,26,704.66	19398/14	26 September, 2014	DD-292419
BPMSC/19210/14	1,21,371.30	19413/14	26 September, 2014	Pay Order-292420
BPMSC/19211/14	4,125.00	19414/14	26 September, 2014	Pay Order-142

7. भूमि विकास नियम क्रमांक 24 अनुसार यह आवश्यक होगा कि किसी भी प्रकार के संशोधन/आंतरिक परिवर्तन/परिवर्धन करने पर उसे पुनः निगम से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। तथा स्वीकृति की अवधि नियम 23 के अधीन होगी।

8. 140 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्र के भूखंड पर वाटर हावर्ड स्टिंग का कार्य स्वयं के व्यय से आपको करवाना होगा। यह कार्य भवन निर्माण पूर्ण होने के साथ पूर्ण करना होगा तथा नगर निगम की वाटर हावर्ड स्टिंग शाखा से सत्यापन कराते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भवन अनुज्ञा शाखा में प्रस्तुत करने पर ही भवन पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

9. रजिस्ट्रीकृत विक्रेता से ही विनिर्दिष्ट वनोपज क्रय करेंगे, क्रय एवम् उपयोग संबंधी सूचना सभी प्रमाणपत्रों के साथ अनिवार्यतः वनमंडलाधिकारी, इन्दौर, को देंगे।

10. उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर स्वीकृति स्वतः शून्य मानी जावेगी।